तारीख हुक्म	सरकार बनाम वेदप्रकाश 131/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त वेदप्रकाश बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष मुलजिमान् अनुपस्थित। आज की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। अधिवक्ता अभियुक्तगण जवाब प्रार्थना पत्र वास्ते पेश होने दस्तावेज पेश न कर सीधी बहस करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इंजर्ड मामन के इलाज के कागजात, डिस्चार्ज टिकट व एक्सरे प्लेट, सीटी स्कैन फिल्में अनुसंधान अधिकारी को दी परंतु उसके द्वारा वापिस लौटा दी गयी थी। पत्रावली शहादत डॉक्टर में नियत है। अतः उक्त दस्तावेज आवश्यक प्रकृति के दस्तावेज होने के कारण रिकॉर्ड पर लिये जावे। उसके जवाब में अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र अत्यंत विलम्ब से पेश किया गया है। अतः खारीज किया जावे। बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेज आहत मामन के इलाज के दस्तावेजात है जो कि प्रकरण से संबंधित है। अतः पुनः रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। गवाह डॉ आनंद कुमार पीडब्ल्यू 30 के बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य सूची में और साक्ष्य शेष नहीं होने से अपर लोक अभियोजक द्वारा साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गयी। पत्रावली वास्ते बयान मुलजिम दिनांक 08.01.2026 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश सं.-1	